



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आबकारी अधिनियम में 05 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 80/2016 धारा-419,420,467,468,472,272,273,255 भा०द०सं० व 63/68 कॉपीराइट एक्ट व 60(2) आबकारी अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.रबी कुशवाहा पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम सिचौलीपुरवा नई बस्ती कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर 2.दिलीप कुमार कुशवाहा पुत्र विपतिया कुशवाहा नि० ग्राम झण्डा मैदान कस्बा व थाना सुमेरपुर हमीरपुर 3.राजेन्द्र यादव पुत्र गंगाचरन नि० ग्राम बांकी थाना सुमेरपुर हमीरपुर 4.चुन्नीलाल पुत्र रामाधीन कुशवाहा नि० ग्राम चन्दपुरवा थाना सुमेरपुर हमीरपुर 5.सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल बृह्म भट्ट नि० चंवर थाना घाटमपुर कानपुर नगर को धारा 60 (2) आब० अधि० में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 02 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक-
उ०नि० मेवालाल
मौर्य



पैरोकार
थाना- ललपुरा
हे०का० धर्मेन्द्र मिश्रा